

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक २३ मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के पत्र संख्या-यू.ओ.आरसी/2248/24/2017-18, दिनांक 08.03.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 में प्रावधानित ₹ 83.00 लाख (₹ तिरासी लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान अवधि के लिए 5^{वाँ} 12वें भाग के रूप में ₹ 34.58 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-83/2017/1419/नौ-5-17-03आर0सी0/04, दिनांक 29.04.2017 द्वारा अवमुक्त किये जाने के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में ₹ 48.36 लाख (₹ अड़तालिस लाख बयालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) यह धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक/पीएलए/पोस्ट ऑफिस/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि उन्हीं कार्मिकों के वेतन/भत्तों पर ही व्यय की जाएगी, जो पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिसके सापेक्ष कर्मी कार्यरत हैं।
- (3) इस धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकर, उओप्रओ इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण हेतु बीजक शासन के सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इन्वायरमेन्टल स्टडी) के लिए सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-130/2018/919(1)/नौ-5-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-,

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
- 7- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,



(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-23/03/2018


प्रेषण संख्या:- 130
आवंटन आदेश संख्या:- 001-130-2018-919-9-5-2018-3RC-04
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायर
मेन्टल स्टडी के लिए सहायता)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-8002-- , --01-रीजनल सेंटर फार अरबन एण्ड इनवायरनमेंटल स्टडी	वर्तमान प्रगामी	4830000 8288000	4830000 8288000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4830000 8288000	4830000 8288000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तालीस लाख तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयासी लाख अठासी हजार


(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव